संख्या-31/2019-1185/58-2019-100(1)/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 08 जुलाई 2019**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2017 में बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत नामित क्रय संस्थाओं के द्वारा क्रय किये गये आलू के विक्रय के उपरान्त हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाली धनराशि रू0-705730/-की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-20/बजट/2019-20, दिनांक 10.06.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017 में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत नामित क्रय संस्थाओं (हाफेड, यूपी एग्रो एवं पीसीएफ) द्वारा क्रय किये गये आलू के विक्रय के उपरान्त हुई हानि की क्षतिपूर्ति का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाली धनराशि रू0-705730/-(सात लाख पॉच हजार सात सौ तीस) मात्र की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-10 के उद्यान शाखा के अन्तर्गत आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत् व्यवस्थित धनराशि रू0-50.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करते हुए प्रश्नगत धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अनुदान सं0-10

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	**कोड सं0/ मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान (लाख में)**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-09-आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना	42-अन्य व्यय	50.00	705730.00
	योग-	**50.00**	**705730.00**

(रूपये-सात लाख पॉच हजार सात सौ तीस मात्र)

(1) भारत सरकार के पत्र सं0-एल-15016/17/2017-एम0पी0एस0, दिनांक 07.04.2017, राज्य सरकार के शासनादेश सं0-679/58-2017-100(1)/2016, दिनांक 08.04.2017 एवं एतदविषयक (बाजार हस्तक्षेप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना-2017) से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप दावों के परीक्षण, उनके वस्तुनिष्ठता एवं क्षतिपूर्ति की अर्हता के परीक्षण का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

(2) समस्त भुगतान निर्दिष्ट अवधि (योजनान्तर्गत) के लिए ही स्वीकार्य होगा। भुगतान की प्रक्रिया भारत सरकार एवं एतदविषयक राज्य सरकार के नीति/निर्देशों के अनुसार ही किया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-09-आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश सं0-यू0ओ0-ई-1-643/दस-2019, दिनांक 03.07.2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-31/2019-1185(1)/58-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृषि सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-एल-15016/17/2017-एम0पी0एस0, दिनांक 12.03.2019 के संदर्भ में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, हॉफेड/यू0पी0एग्रो/उ0प्र0 पी0सी0एफ0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in